

न्यायालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खैरागढ़, सिविल
जिला-राजनांदगांव (छ.ग)

:: दांडिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2024 ::

क्रमांक क/मु.न्या.मजि./2024

खैरागढ़, दिनांक 01.01.2024

मैं विवेक गर्ग, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 14(1) एवं 15(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2024 के लिए राजस्व जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के मध्य दांडिक कार्यों का विभाजन निम्नानुसार करता हूँ, जो माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, राजनांदगांव के अनुमोदन दिनांक से प्रभावशील होगा -

क्र.	न्यायिक अधिकारियों के नाम एवं पदनाम	आरक्षी केन्द्र	कार्य विभाजन
1	2	3	4
1.	विवेक गर्ग, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)	आरक्षी केन्द्र खैरागढ़, पुलिस चौकी जालबांधा, आरक्षी केन्द्र डोंगरगढ़ (केवल डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत 08 गांव जो खैरागढ़ तहसील में आते हैं)	(1) आरक्षी केन्द्र खैरागढ़, पुलिस चौकी जालबांधा, आरक्षी केन्द्र डोंगरगढ़ (केवल डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत 08 गांव जो खैरागढ़ तहसील में आते हैं) से उत्पन्न होने वाले आबकारी अधिनियम एवं परिवाद प्रकरणों सहित सभी आपराधिक प्रकरण जिसमें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 भी शामिल है, का निराकरण करना तथा उक्त थानों के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले खात्मा एवं खारिजी के समस्त प्रकरणों का निराकरण करना। (2) आबकारी वृत्त, खैरागढ़ से उद्भूत होने वाले समस्त प्रकरणों का निराकरण करना एवं आबकारी वृत्त गण्डई से उद्भूत होने वाले 5 बल्क लीटर से अधिक के प्रकरणों का निराकरण करना। (3) पुलिस थाना खैरागढ़, पुलिस चौकी जालबांधा, आरक्षी केन्द्र डोंगरगढ़ (खैरागढ़ विकासखण्ड एवं तहसील सीमा

		<p>के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के प्रकरणों सहित एवं डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत 08 गांव जो खैरागढ़ तहसील में आते हैं) क्षेत्र से उद्भूत होने वाले नापतौल अधिनियम, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, दुकान स्थापना अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम एवं स्थानीय एवं विशिष्ट अधिनियम के तहत प्रस्तुत किए जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(4) थाना छुईखदान, गंडई, बकरकट्टा, साल्हेवारा, गातापार एवं थाना मोहगांव से उत्पन्न होने वाले 05 बल्क लीटर से अधिक आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खैरागढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।</p> <p>(5) कॉलम नंबर-3 में उल्लेखित थाना क्षेत्रों से उद्भूत होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 (संशोधन सहित) के समस्त परिवाद मामलों का निराकरण करना।</p> <p>(6) माननीय सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।</p>
2.	<p>कु. संजूलता देवांगन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, छुईखदान, सिविल जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)</p>	<p>आरक्षी केन्द्र छुईखदान, गंडई, साल्हेवारा, बकरकट्टा, मोहगांव</p> <p>(1) आरक्षी केन्द्र छुईखदान, गंडई, साल्हेवारा, बकरकट्टा एवं मोहगांव से उत्पन्न होने वाले (खैरागढ़ विकासखण्ड एवं तहसील सीमा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के प्रकरणों को छोड़कर तथा आबकारी अधिनियम के 5 बल्क लीटर से अधिक मात्रा के प्रकरणों को छोड़कर) समस्त आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद प्रकरणों जिसमें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 भी शामिल है, (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त कार्य को छोड़कर) का निराकरण करना तथा उक्त थानों के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले खात्मा के समस्त प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(2) आबकारी वृत्त, गंडई (आबकारी अधिनियम के 5 बल्क लीटर से अधिक</p>

			<p>मात्रा के प्रकरणों को छोड़कर) से उद्भूत होने वाले शेष समस्त प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(3) कॉलम नंबर-3 के थाना क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले नापतौल अधिनियम, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, दुकान स्थापना अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम एवं स्थानीय एवं विशिष्ट अधिनियम के तहत प्रस्तुत किए जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(4) कॉलम नंबर-3 में उल्लेखित थाना क्षेत्रों से उद्भूत होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 (खैरागढ़ विकासखण्ड एवं तहसील सीमा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के प्रकरणों को छोड़कर) के समस्त परिवाद मामलों का निराकरण करना।</p> <p>(5) माननीय सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।</p>
3.	श्री गुरुप्रसाद देवांगन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खैरागढ़, सिविल जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)	आरक्षी केन्द्र गातापार एवं आरक्षी केन्द्र टेलकाडीह (राजस्व तहसील खैरागढ़ के अंतर्गत आने वाले 24 गांव),	<p>(1) आरक्षी केन्द्र गातापार एवं आरक्षी केन्द्र टेलकाडीह (राजस्व तहसील खैरागढ़ के अंतर्गत आने वाले 24 गांव) (आबकारी अधिनियम के 5 बल्क लीटर से अधिक मात्रा के प्रकरणों को छोड़कर) समस्त आपराधिक प्रकरण एवं परिवाद प्रकरणों जिसमें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 भी शामिल है, (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त कार्य को छोड़कर) का निराकरण करना तथा उक्त थानों के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले खात्मा के समस्त प्रकरणों का निराकरण करना।</p> <p>(2) कॉलम नंबर-3 के थाना क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले नापतौल अधिनियम, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, दुकान स्थापना अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम एवं स्थानीय एवं विशिष्ट अधिनियम के तहत प्रस्तुत किए जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।</p>

			<p>(3) कॉलम नंबर-3 में उल्लेखित थाना क्षेत्रों से उद्भूत होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 (खैरागढ़ विकासखण्ड एवं तहसील सीमा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के प्रकरणों को छोड़कर) के समस्त परिवाद मामलों का निराकरण करना।</p> <p>(5) माननीय सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे गए मामलों का निराकरण करना।</p>
--	--	--	---

सही /-

(विवेक गर्ग)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खैरागढ़
सिविल जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

:: धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत साक्ष्य एवं संस्वीकृतियाँ ::

धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता से संबंधित कथन एवं संस्वीकृतियाँ निम्नानुसार संबंधित न्यायालय में दर्ज किए जावेंगे एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना विधिवत् प्रेषित करेंगे :-

क्र.	न्यायिक अधिकारियों के नाम एवं पदनाम	आरक्षी केन्द्र	कार्य विभाजन
1	2	3	4
1.	कु. संजूलता देवांगन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, छुईखदान, सिविल जिला-राजनांदगांव(छ.ग.)	आरक्षी केन्द्र खैरागढ़, पुलिस चौकी जालबांधा, चौकी मोहारा (केवल डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत 08 गांव जो खैरागढ़ तहसील में आते हैं), आरक्षी केन्द्र गातापार एवं आरक्षी केन्द्र टेलकाडीह (राजस्व तहसील खैरागढ़ के अंतर्गत आने वाले 24 गांव)	कॉलम नं. 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों के धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कथन लेना।
2.	श्री गुरुप्रसाद देवांगन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खैरागढ़, सिविल जिला-राजनांदगांव(छ.ग.)	आरक्षी केन्द्र छुईखदान, गंडई, सालहेवारा, बकरकट्टा, मोहगांव, घुमका	कॉलम नं. 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों के धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कथन लेना।

खैरागढ़,दिनांक : 01.01.2024

सही /-
(विवेक गर्ग)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खैरागढ़
सिविल जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

:: परिशिष्ट – “ए” ::

न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने की दशा में “अत्यावश्यक” आपराधिक कार्य निम्नानुसार सम्पादित किया जावेगा।

क्र.	नाम एवं पदनाम	प्रभारी मजिस्ट्रेट का नाम व पदनाम	द्वितीय प्रभार
1	2	3	4
1.	विवेक गर्ग मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खैरागढ़, सिविल जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)	श्री गुरुप्रसाद देवांगन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खैरागढ़, सिविल जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)	सुश्री संजूलता देवांगन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, छुईखदान, सिविल जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)
2.	सुश्री संजूलता देवांगन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, छुईखदान, सिविल जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)	श्री गुरुप्रसाद देवांगन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खैरागढ़, सिविल जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)	विवेक गर्ग मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खैरागढ़, सिविल जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)
3.	श्री गुरुप्रसाद देवांगन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खैरागढ़, सिविल जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)	विवेक गर्ग मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खैरागढ़, सिविल जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)	सुश्री संजूलता देवांगन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, छुईखदान, सिविल जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)

टीप :-

- (1) नामांकित न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थानांतरण की दशा में प्रभार लेने वाले अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तदनुसार कार्य करेंगे।
- (2) अवकाश में जाने से पूर्व प्रत्येक मजिस्ट्रेट, प्रभार में कार्य करने वाले मुख्यालय में रहने वाले मजिस्ट्रेट को अवकाश की सूचना देंगे तथा मुख्यालय से बाहर जाते समय माननीय सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित करेंगे।

खैरागढ़,दिनांक : 01.01.2024

सही /-
(विवेक गर्ग)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खैरागढ़
सिविल जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

:: परिशिष्ट – “बी” ::

धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथन एवं संस्वीकृतियों
न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने की दशा में धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के
तहत कथन निम्नानुसार लिया जावेगा।

क्र.	नाम एवं पदनाम	प्रभारी मजिस्ट्रेट का नाम व पदनाम	द्वितीय प्रभार
1	2	3	4
1.	सुश्री संजूलता देवांगन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, छुईखदान, सिविल जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)	(1) आरक्षी केन्द्र खैरागढ़, पुलिस चौकी जालबांधा, चौकी मोहारा (केवल डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत 08 गांव जो खैरागढ़ तहसील में आते हैं) से उद्भूत मामलों का कथन श्री गुरुप्रसाद देवांगन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खैरागढ़ द्वारा निष्पादित किया जाएगा। (2) आरक्षी केन्द्र गातापार एवं आरक्षी केन्द्र टेलकाडीह (राजस्व तहसील खैरागढ़ के अंतर्गत आने वाले 24 गांव) से उद्भूत मामलों का कथन विवेक गर्ग, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खैरागढ़, सिविल जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) द्वारा निष्पादित किया जाएगा	-
2.	श्री गुरुप्रसाद देवांगन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खैरागढ़, सिविल जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)	विवेक गर्ग मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खैरागढ़, सिविल जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)	-

खैरागढ़, दिनांक : 01.01.2024

सही /-

(विवेक गर्ग)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खैरागढ़
सिविल जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

पृष्ठा.क्र. क/मु.न्या.मजि./2024

खैरागढ़, दिनांक 01.01.2024

प्रतिलिपि :-

- (1) माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
- (2) माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)
- (3) माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश खैरागढ़, सिविल जिला-राजनांदगांव(छ.ग.)
की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

- (4) सुश्री संजूलता देवांगन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छुईखदान, सिविल जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)
- (5) श्री गुरुप्रसाद देवांगन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खैरागढ़, सिविल जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)
- की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- (6) अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी, खैरागढ़/छुईखदान को सूचनार्थ प्रेषित।
- (7) अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)
- (8) अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, छुईखदान, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

सही /-

(विवेक गर्ग)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खैरागढ़
सिविल जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

न्यायालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खैरागढ़,
सिविल जिला राजनांदगांव (छ.ग)

क्रमांक क/मु.न्या.मजि./2024

खैरागढ़, दिनांक 01.01.2024

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिला में आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत के एन.डी.पी.एस. अधिनियम, 1985 के तहत जप्तशुदा सामग्री की इन्वेंट्री तैयार किए जाने के संबंध में निम्नानुसार आदेश जारी किया जाता है जो माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, राजनांदगांव के अनुमोदन दिनांक से प्रभावशील होगा -

क्र.	न्यायिक अधिकारियों के नाम	आरक्षी केन्द्रों के नाम
1	2	3
1.	सुश्री संजूलता देवांगन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, छुईखदान, सिविल जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)	आरक्षी केन्द्र खैरागढ़, पुलिस चौकी जालबांधा एवं गातापार तथा आरक्षी केन्द्र डोंगरगढ़ (केवल डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत 08 गांव जो खैरागढ़ तहसील में आते हैं) एवं आरक्षी केन्द्र ठेलकाडीह (राजस्व तहसील खैरागढ़ के अंतर्गत आने वाले 24 गांव), आरक्षी केन्द्र छुईखदान (खैरागढ़ विकासखण्ड एवं तहसील सीमा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले ग्राम)
2.	श्री गुरुप्रसाद देवांगन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खैरागढ़, सिविल जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)	आरक्षी केन्द्र छुईखदान, गंडई, सालहेवारा, बकरकट्टा, मोहगांव

सही /-

(विवेक गर्ग)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खैरागढ़
सिविल जिला-राजनांदगांव(छ.ग.)